**प्रेषक**

**दिनेश चन्द्र पाण्डेय,**
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन ।

**सेवा में,**

**मुख्य विकास अधिकारी**
गोरखपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, इलाहाबाद एवं उन्नाव।

**ग्राम्य विकास अनुभाग-9** **लखनऊ : दिनांक- 15 मार्च, 2017**

**विषय-** विधान परिषद के नव-निर्वाचित 05 मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 की द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि अवमुक्त किया जाना।

**महोदय,**

विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 की धनराशि की द्वितीय किश्त निर्गत किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-51/2016/525/अड़तीस-9-2016-06(बजट)/2015, दिनांक-19 सितम्बर, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

**2-** सूच्य है कि उक्त शासनादेश दिनांक-19 सितम्बर, 2016 के प्रस्तर-2 के अनुसार 05 मा0 विधान परिषद सदस्य (श्री अरूण पाठक, कानपुर- खण्ड स्नातक; श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, गोरखपुर-फैजाबाद-खण्ड स्नातक; डा0 जयपाल सिंह व्यस्त, बरेली-मुरादाबाद-खण्ड स्नातक; श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी, इलाहाबाद-झॉसी-डिवीजन शिक्षक एवं श्री राजबहादुर सिंह चन्देल, कानपुर-उन्नाव-डिवीजन शिक्षक), जिनका कार्यकाल दिनांक-16 नवम्बर, 2016 को समाप्त होना था, को द्वितीय किश्त हेतु निर्धारित अग्रेतर अवधि में मात्र 1.5 माह ही शेष होने के दृष्टिगत रू0 75,00,000.00 (रूपये पचहत्तर लाख मात्र) का एक चौथाई रू0 18,75,000.00 (रूपये अठ्ठारह लाख पचहत्तर हजार मात्र) प्रति सदस्य की दर से कुल रू0 93,75,000.00 (रूपये तिरानबे लाख पचहत्तर हजार मात्र) की ही धनराशि निर्गत की गयी थी।

**3-** उल्लेखनीय है कि विधान परिषद क्षेत्र गोरखपुर-फैजाबाद-खण्ड स्नातक से श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, कानपुर- खण्ड स्नातक क्षेत्र से श्री अरूण पाठक, बरेली-मुरादाबाद-खण्ड स्नातक क्षेत्र से डा0 जयपाल सिंह व्यस्त, इलाहाबाद-झॉसी-खण्ड शिक्षक क्षेत्र से श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी एवं कानपुर-खण्ड शिक्षक क्षेत्र से श्री राजबहादुर सिंह चन्देल के पुन: निर्वाचित होने के दृष्टिगत उक्त विधान परिषद क्षेत्रों की वित्तीय वर्ष 2016-17 की द्वितीय किश्त की प्रति सदस्य की दर से अवशेष धनराशि रू0

**-2/**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

56,25,000.00 (रूपये छप्पन लाख पच्चीस हजार मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रू0 2,81,25,000.00 (रूपये दो करोड इक्यासी लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की आवश्यकता पायी गयी है।

**4-** इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में विधान परिषद के नव-निर्वाचित उपरोक्त 05 मा0 सदस्यों हेतु द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि के रूप में कुल रू0 2,81,25,000.00 (रूपये दो करोड इक्यासी लाख पच्चीस हजार मात्र) (संलग्न तालिका के अनुसार) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

**(1)-** उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के वैयक्तिक लेखा खाता में जमा की जायेगी। इस धनराशि का व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्वान्तों में उल्लिखित व्यवस्था/प्राविधानों तथा इस निमित्त समय-समय पर जारी शासनादेश के अनुसार ही किया जायेगा।

**(2)-** सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि की जानकारी तथा शासनादेश की प्रतिलिपि अपने-अपने सम्बन्धित मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

**(3)-** इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/ 2016, दिनांक-22-03-2016 में किये गये प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

**5-** इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक- "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-विधायक निधि-42-अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।

**6-** यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/ 2016, दिनांक-22-03-2016 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

**भवदीय**

**दिनेश चन्द्र पाण्डेय**
अनु सचिव।

**-3/**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्या-04/2017/81 (1) /अड्तीस-9-2017, तददिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

**1-** महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
**2-** महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
**3-** सम्बन्धित मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।
**4-** प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
**5-** प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
**6-** निजी सचिव, मा0 सभापित, विधान परिषद, उ0प्र0।
**7-** निजी सचिव, मा0 मंत्री ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
**8-** आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
**9-** अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
**10-** जिलाधिकारी, गोरखपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, इलाहाबाद एवं उन्नाव।
**11-** कोषाधिकारी, गोरखपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, इलाहाबाद एवं उन्नाव।
**12-** वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
**13-** नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/गार्डबुक।

**आज्ञा से,**

**दिनेश चन्द्र पाण्डेय**
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**शासनादेश संख्या-04/2017/81/अड्तीस-9-2017-06(बजट)/2015, दिनांक-15 मार्च, 2017 का संलग्नक विधान परिषद के नव-निर्वाचित 05 मा0 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र के जनपदों को आवंटित धनराशि की सूची।**

| क्र0सं0 | विधान परिषद सदस्य का नाम | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | नोडल जनपद का नाम | अवमुक्त धनराशि (लाख रूपये में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह | गोरखपुर-फैजाबाद स्नातक | गोरखपुर | 56.25 |
| 2. | श्री अरूण पाठक | कानपुर खण्ड स्नातक | कानपुर नगर | 56.25 |
| 3. | डा0 जयपाल सिंह व्यस्त | बरेली-मुरादाबाद स्नातक | मुरादाबाद | 56.25 |
| 4. | श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी | इलाहाबाद-झाँसी खण्ड शिक्षक क्षेत्र | इलाहाबाद | 56.25 |
| 5. | श्री राजबहादुर सिंह चन्देल | कानपुर-खण्ड शिक्षक | उन्नाव | 56.25 |
| **योग-** | | | | **281.25** |

**(कुल रूपये दो करोड़ इक्यासी लाख पच्चीस हजार मात्र)**

**दिनेश चन्द्र पाण्डेय**
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।